न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 117/2021 (जी0सी0एम0एस0 नं0 2021/210)

उनवानी प्रकरण :–

मुंशीलाल पुत्र स्व0 श्री अजमेरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम टुण्डे का पुरा (मौरोली) पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर ---------- .प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर ----------अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर अभिभाषक
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम

निर्णय **दिनांक 01.08.2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के चलते जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा पत्रांक 1813 दिनांक 27.05.2008 के द्वारा तहत अदालत को अवगत कराया कि प्रार्थी गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में लगातार सकिय है तथा हथियार के दुरूपयोग की संभावना है। अतः सूची में अंकित कुल 8 अनुज्ञाधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किये जावे। तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की सिफारिश के आधार पर आदेश कमाक आर्म्स/08/804–14 दिनांक 27.05.2008 पारित करते हुये आदेश में अंकित कुल 8 व्यक्तियों के अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी मुंशीलाल पुत्र स्व0 श्री अजमेरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम टुण्डे का पुरा (मौरोली) पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर का नाम आदेश में अंकित सूची के कम संख्या–2 पर अंकित है। उक्त आदेश दिनांक 27.05.2008 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2021 के द्वारा प्रकरण

(केवल अनुज्ञापत्र संख्या 10/2000 के संबध में अपीलाधीन आदेश की क्रम संख्या 02 की हद तक) पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 13.02.2020 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थी/अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुई। प्रकरण में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 10/2000 बहाली/नवीनीकरण के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 6199 दिनांक 03.12.2021 द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी मुंशीलाल के विरूद्ध कई प्रकरण दर्ज है जिनका न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं हुआ है जो न्यायालय में विचाराधीन है। मुताविक रिकार्ड थाना के प्रार्थी मुंशीलाल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। मुंशीलाल के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 10/2000 को आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान कानून व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये शस्त्र को बहाल किया जाना उचित नहीं है। उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुसंशा नहीं की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से उक्त प्राप्त रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2022/138 दिनांक 01.04.2022 के जरिये जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 2032 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी के विरूद्व आठ प्रकरण दर्ज है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) मु0नं0 37/1988 धारा 447,323 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 52 दिनांक 30.03.1988 मुल0 को न्यायालय ऐसीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 02.09.1998 को 01 वर्ष के लिये 1000/-रू0 के जमानती मुचलकों पर पाबन्द कर रिहा किया गया।

(2) मु0नं0 382/1993 धारा 323,341,34 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 323 दिनांक 30.08.1993 न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) मु0नं0 128/1995 धारा 323,341 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 59 दिनांक 31.03.1995 न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा फैसला दिनांक 4.6.1998 को वरी किया गया।

(4) मु0नं0 205/1999 धारा 323,341 आई.पी.सी. व 3-1(एक्स)एससीएसटी एक्ट चार्जशीट नम्बर 159 दिनांक 22.06.1999 न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) मु0नं0 50/2001 धारा 323,376,365,395,32 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 30.04.2001 न्यायालय में विचाराधीन है।

(6) मु0नं0 217/2007 धारा 147,149,323,341,379,427 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 277 दिनांक 23.11.2009 राजस्थान सरकार द्वारा वापस लिया गया।

(7) मु0नं0 222/2007 धारा 147,149,283,436,353 आई.पी.सी. व 3 पीडीपीपी एक्ट चार्जशीट नम्बर 280 दिनांक 24.11.2009 न्यायालय में विचाराधीन है।
(8) मु0नं0 411/2012 धारा 382 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 275 दिनांक 31.10.2012 न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त सभी मुकद्वमों में प्रार्थी का चालान हुआ है जो यह दर्शता है कि प्रार्थी आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के पास हथियार का होना किसी भी राय में उचित नहीं है क्योंकि इसके दुरूपयोग किये जाने की संभावना निरन्तर बनी रहती है। प्रार्थी भले ही उक्त प्रकरणों में न्यायालय से सजा पाने से बच जाये किन्तु न्यायिक निर्णयों से उसकी मानसिकता नहीं बदल जाती ऐसी सूरत में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा नहीं की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/2000 विधिवत रूप से जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने जारी किया था। प्रार्थी ने शस्त्र का कभी दुरूपयोग नहीं किया। अनुज्ञापत्र की सभी शर्तो की पालना की है। प्रार्थी हमेशा से ही पुलिस के लिये लम्बे अर्से से अपराध जगत के विरूद्व मुखबिरी का कार्य करता चला आ रहा है तथा हमेशा अपराध के खिलाफ पुलिस विभाग का सहयोग किया है। अपीलान्ट का निवास डांग क्षेत्र होने के कारण आत्म सुरक्षा के लिये लाईसेंसी हथियार की अति आवश्यकता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्व आठ प्रकरण पंजीकृत होने का उल्लेख किया गया है। उक्त दर्ज सभी प्रकरणों प्रार्थी वरी हो चुका है। उक्त सभी दर्ज प्रकरणों के निर्णयों की प्रति प्रार्थी ने प्रस्तुत की है। वर्तमान में प्रार्थी के विरूद्व कोई प्रकरण पंजीवद्व नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन व चरित्र भी अच्छा रहा है। प्रार्थी के विरूद्व कोई भी आपराधिक प्रकरण में आज तक कोई सजा नहीं हुई है। उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा लाइसेन्सी हथियार का किसी भी अपराध में उपयोग नहीं लिया गया है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/2000 को वहाल/नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें प्रार्थी के विरूद्व आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया है। उक्त सभी प्रकरणों में न्यायालय में प्रार्थी के विरूद्व चालान पेश हुआ है जो यह दर्शता है कि प्रार्थी आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के पास हथियार का होना किसी भी राय में उचित नहीं है क्योंकि इसके दुरूपयोग किये जाने की संभावना

निरन्तर बनी रहती है। प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर आपराधिक पृष्ठभूमि होना पाया गया है। प्रार्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण होने के कारण एवं अनुज्ञापत्रधारी के द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु लोकहित में आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश दिनांक 27.05.2008 के जरिये प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 25.07.2008 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने प्रकरण (केवल अनुज्ञापत्र संख्या 10/2000 के संबध में अपीलाधीन आदेश की क्रम संख्या 02 की हद तक) पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें। इस सम्बध में अपीलान्ट/प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी मुंशीलाल के विरूद्ध आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अंकित किया है (1) मु0नं0 37/1988 धारा 447,323 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 52 दिनांक 30.03.1988 मुल0 को **न्यायालय ऐसीजेएम धौलपुर द्वारा दिनांक 02.09.1998 को 447,323 आई.पी.सी.का अपराधी धोषित किया जाकर उन्हें धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के प्राबधान के तहत 6 माह के अवधि के लिये परशांति सदाचार एवं अच्छा आचरण बरतने बावत 3000/–रू0 के बंधपत्र मुचलका पर पाबन्द कर रिहा किया गया है जो उसके आचरण को दर्शाता है** (2) मु0नं0 382/1993 धारा 323,341,34 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 323 दिनांक 30.08.1993 न्यायालय में विचाराधीन है (3) मु0नं0 128/1995 धारा 323,341 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 59 दिनांक 31.03.1995 न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा फैसला दिनांक 4.6.1998 को मुताविक राजीनामा वरी किया गया (4) मु0नं0 205/1999 धारा 323,341 आई.पी.सी. व 3–1(एक्स)एससीएसटी एक्ट चार्जशीट नम्बर 159 दिनांक 22.06.1999 न्यायालय निर्णय दिनांक 3.1.2003 मुताविक राजीनामा वरी किया गया (5) मु0नं0 50/2001 धारा 323,376,365,395,32 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 30.04.2001 न्यायालय निर्णय दिनांक 28.11.2002 संदेह का लाभ देकर वरी किया गया है (6) मु0नं0 217/2007 धारा 147,149,323,341,379,427 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 277 दिनांक 23.11.2009

राजस्थान सरकार द्वारा वापस लिया गया (7) मु0नं0 222/2007 धारा 147,149,283,436,353 आई.पी.सी. व 3 पीडीपीपी एक्ट चार्जशीट नम्बर 280 दिनांक 24.11.2009 न्यायालय में विचाराधीन है (8) मु0नं0 411/2012 धारा 382 आई.पी.सी. चार्जशीट नम्बर 275 दिनांक 20.12.2012 न्यायालय मुताविक राजीनामा बरी किया गया। उक्त सभी मुकद्दमों में अपीलान्ट/प्रार्थी का चालान हुआ है जो यह दर्शता है कि आवेदक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के पास हथियार का होना किसी भी राय में उचित नहीं है। इस प्रकार इन प्रकरणों में अपीलार्थी को गुणावगुण पर बरी नहीं किया गया है अपितु राजीनामा के आधार पर बरी किया गया है। इसके अतिरिक्त मुकद्दमा नम्बर 222/2007 धारा 147,149,283,436,353 आई.पी.सी. 3 पीडीपीपी एक्ट अभी भी न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का आपराधिक आचरण होना प्रमाणित पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.12.2021 व 28.04.2022 में प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** प्रार्थी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत नोटिस देकर प्रार्थी का पक्ष सुना जा चुका है। अधिनियम की धारा 17 (3) अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञा पत्र को निलम्बन करने और निरस्त करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। धारा 17(3)(बी) पब्लिक पीस, पब्लिक सैफ्टी के हित में अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने एवं निरस्त करने का प्राधिकार देती हैं जहाँ अनुज्ञापन अधिकारी ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे। जहाँ तक प्रश्न अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि का है इस हेतु पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन व अनुज्ञा चाहने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण का रिकार्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लोक शान्ति व सुरक्षा के लिए जिले का उत्तरदायी अधिकारी हैं। आयुध अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज की गई एफ.आई.आर./न्यायालयों के निर्णय/पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर समग्र विचारण के बाद ही हो सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एंव शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल नहीं किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञापत्र बहाल करने सम्बन्धी खारिज किया जाता है। न्याय/आर्म्स अनुभाग की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,